

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग8 -
संख्या-259009/2024/01(120)/XXVII(8)/2024, CTR-02
देहरादून दिनांक: 06 दिसम्बर 2024,

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग8- की अधिसूचना संख्या 514/2011(20)9/7)/XXVII(8)/201 7 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II में- 6%,-

(i) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"121क	4819 10, 4819 20	कार्टन, बॉक्स और केस जो कि-
		7. नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा
		8. गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड, से बने हों";

(ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"180क	7310, 7323, 7612, या 7615	लौह, स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के केन";
-------	---------------------------	---

(iii) क्रम संख्या 183 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"183क	7321 या 8516	सोलर कुकर";
-------	--------------	-------------

(iv) क्रम संख्या 199 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शावकित्र" के पश्चात, "उनके पुर्जे" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III में- 9%,-

(i) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

8685
10/12/24

आवश्यक कार्यवाही करें।
अनुभाग

आयुक्त राज्य
उत्तराखण्ड

"153क	4819 (4819 10, 4819 20 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं (कार्टन, बॉक्स और केस जो कि- 7. नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा 8. गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने हों, को छोड़कर)";
-------	-----------------------------------	---

(ii) क्रम संख्या 224 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, "लौह या स्टील से बने दूध के लिए कैन्स को छोड़कर, किसी अन्य सामग्री (सम्पीडित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी, वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान, जिनकी धारिता 300 लीटर से अधिक नहीं है, चाहे आस्तरित या तापरोधित है या नहीं, किन्तु जिनमे यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किये गए हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) क्रम संख्या 235 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंत में, "और उड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के," शब्दों के लिए "बुड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, और सोलर कूकर," शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 273 के समक्ष, शब्दों "बॉक्स आदि" के पश्चात ", एल्यूमीनियम से बने दूध के केन को छोड़कर" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 275 क के समक्ष, शब्दों "बर्तनों" के पश्चात, "; एल्यूमीनियम से बने दूध के केन" प्रतीकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 378 क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों "घरेलू प्रयोजनों" के स्थान पर, "घरेलू प्रयोजनों [सोलर कूकर को छोड़कर]" कोष्ठकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।" ।

यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

Signed by

Anand Bardhan

Date 15/07/2024 17:41:58

अपर मुख्य सचिव।

सं० २५१००९/२०२४/०१(१२०)/XXVII(८)/२०२४/CTR-02, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये

- 100-100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
5-एन0आई0सी0।
6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Signed by

Bharat Bhushan Mathpal

(~~बि0बी0 मठपाल~~)
Date: 06-12-2024 10:44:38
अपर सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 259009 / 2024/01(120) XXVII (8)/2024 dated 06 December, 2024 for general information

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 259009 / 2024/01(120)/ XXVII (8)/2024, CTR-02

Dehradun :: Dated 06 December, 2024

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule II – 6%, -

(i) after serial number 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"121A	4819 10, 4819 20	Cartons, boxes and cases of, – a. corrugated paper or paper board; or b. non-corrugated paper or paper board";
-------	---------------------	--

(ii) after serial number 180 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"180A	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium";
-------	---------------------------	---

(iii) after serial number 183 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"183A	7321 or 8516	Solar cookers";
-------	--------------	-----------------

(iv) against serial number 199, in column (3), after the word "brooders", the words and symbol, "parts thereof" shall be inserted;

(B) in Schedule III – 9%, -

(i) for serial number 153A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"153A	4819 (except 4819 10, 4819 20)	All Goods (other than Cartons, boxes and cases, of – (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board)";
-------	--------------------------------	--

(ii) against serial number 224, for the entry in column (3), "Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment other than Milk cans made of Iron, or Steel" shall be substituted;

(iii) against serial number 235, in column (3), at the end, for the words, "and wood burning stoves of iron or steel", the words, "wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers" shall be substituted;

(iv) against serial number 273, after the words "boxes, etc.", the words and symbols "; other than Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;

(v) against serial number 275A, after the words "Utensils", the words and symbol; "Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;

(vi) against serial number 378A, in column (3), for the words and symbol "domestic purposes;", the words, symbol and brackets "domestic purposes [other than solar cookers];" shall be substituted;

(C) after the Schedule VII, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 15th day of July, 2024.

Signed by

Anand Bardhan

Date: 05-07-2024 17:42:31

Additional Chief Secretary.